

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

मीठारसीन अधिकारी- ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 41 / 2023
आदेश दिनांक : 17.10.2024

नन्दलाल पुत्र बंशीधर जाति प्रजापत निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....वादी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र स्व. उदाराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
2. देवीलाल पुत्र बंशीधर जाति प्रजापत निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
3. राधेश्याम पुत्र देवीलाल जाति प्रजापत निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
4. विनोदी देवी पत्नी कमल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
5. अनिता गोयल पत्नी राधेश्याम जाति महाजन निवासीनी 429/13 नई काठमंडी रोहतक रोड़, जिन्द हरियाणा
6. भंवरी देवी पत्नी भागीरथमल जाति महाजन निवासीनी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
7. उप पंजियक, उपपंजीयक कार्यालय सालासर, तहसील सुजानगढ़
8. नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय सालासर तहसील सुजानगढ़
9. तहसीलदार, तहसील कार्यालय सुजानगढ़ जिला चूरु

..... प्रतिवादीगण

10. रामलाल पुत्र बंशीधर जाति प्रजापत निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

..... गौण प्रतिवादीगण



नन्दलाल बनाम बंशीधर आदि

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण आदि ने 2 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में घोषणात्मक डिग्री जो चाही गयी है कि गीफ्ट डीड को बिना हक अधिकार कब्जे के की हुई इस कारण शुरु से ही अवैध व प्रभाव शून्य है इस बाबत गीफ्ट को शून्य घोषित किया जावे उक्त दस्तावेज को शून्य करवाने हेतु सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा रैवन्यु कोर्ट को शून्य की घोषणा करने का अधिकार नहीं है इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा बिना सुनवाई के निरस्त योग्य है। गिफ्ट डीड को शून्य घोषित करने का रैवन्यु कोर्ट को अधिकार नहीं है इस कारण उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा अदालतदाला में चलने लायक न होने से खारिज बिना सुनवाई के किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादी को दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा लाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त सम्पती प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की स्वयं की खरीद सुदा है इसलिये प्रार्थी/वादी को उसके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा लाने का अधिकार नहीं है न कोज आफ एक्शन हासिल है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा बिना सुनवाई के निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 2121/627 की भूमि कृषि योग्य नहीं है गै०मु० आवासीय हो जाने से सपरिवर्तन किया जाकर इसे आवासीय माना गया है इस कारण से आबादी में जाने से उक्त दावा रैवन्यु कोर्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं किया जा सकता बल्कि सिविल कोर्ट में किया जा सकता है। उक्त वाद में राधेश्याम, विनोद देवी, अनिता गोयल, भंवरी देवी के हक में की गई गिफ्ट डीड बतलाकर उनको शून्य घोषित करवाना चाहा गया है जबकि अनिता गोयल, भंवरी देवी, राधेश्याम के हक में की गई गिफ्ट डीड को निरस्त करवाने का अधिकारी अप्रार्थी/वादी को नहीं है क्योंकि अन्दर अवधि गिफ्ट डीड को शून्य करवाने का वाद पेश नहीं किया गया है। तथा राधेश्याम, विनोद देवी, अनिता गोयल व भंवरी देवी के हक में गिफ्ट डीड का कॉज ऑफ एक्शन अलग-अलग है एक नहीं है तथा नाम व दिनांक भी अलग

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

2
जिसका सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के अनुसार एक दावा पेश नहीं किया जा सकता
अतः अप्रार्थी/वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण चलने योग्य नहीं है। खातेदार
विक्रय-पत्र बंशीधर के हक में कृषि भूमि खसरा नम्बर 627/548 का खसरा नम्बर 2121/627 जो
बताया जा रहा है यह पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि बंशीधर की स्वयं की खरीद सुदा भूमि है अतः
अप्रार्थी/वादी का दावा हैवी कोष्ट पर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बंशीधर आदि के प्रार्थना-पत्रों का जवाब प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि अप्रार्थी/वादी का दावा केवल घोषणात्मक डिक्री प्राप्ति का नहीं है, बल्कि
दावा घोषणात्मक, रिकॉर्ड संशोधन व चिर व्यादेश की डिक्री प्राप्ति का है साथ ही राज. काश्त.
अधिनियम के अध्याय 8 धारा 88 से 92 ए में घोषणात्मक दावे का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार
न्यायालय को है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना-पत्र में कहीं वर्णित नहीं किया कि उनका यह
प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 के किस उपनियम में आता है। अगर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बंशीधर
आदि की कोई बात सिविल न्यायालय की परिधि में आती तो दावा खारिज नहीं होता बल्कि उक्त
तनकीयात अलग से निर्णित होने के लिए सिविल न्यायालय को निर्णय के लिए भेजी जाती है।
वादगत भूमि पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कहीं भी किसी प्रकार का कब्जा नहीं है और ना ही
पारिवारिक विभाजन लिखा-पढ़ी होने के कारण है। वादगत सम्पत्ति हस्तान्तरण करने का अधिकार
दिनांक 27.08.2004 को विभाजन लिखे गये थे और उन्हीं के आधार पर वादी व गौण प्रतिवादी
अपने-अपने हिस्से पर बहैसियत मालिक काबिज व उपयोग-उपभोगकर्ता, कब्जाधारी हैं।
अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्दर मियाद है अगर मियाद का बिन्दु उठता है तो मियाद के
बिन्दु पर जवाब दावा में तनकी कायम की जा सकती थी। अप्रार्थी/वादी ने
प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के बिन्दु आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का जवाब दिया कि हर वाद की
विरचना यावत्साध्य ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अन्तिम विनिश्चय करने के लिए
आधार प्राप्त हो जाये और उनसे सम्पृक्त अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो जाए और हर
वाद का वह पूरा दावा होगा, जिसे उस वाद हैतुक के विषय में करने का वादी हकदार है। तथा
अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है क्योंकि वाद हैतुक अन्तिम बार धमकी से
प्राप्त हुआ है। तथा अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना-पत्र के जवाब के अतिरिक्त कथन कर
निवेदन किया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने पहले से ही एक प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11
सीपीसी का प्रस्तुत कर रखा है इसलिए द्वितीय प्रा.पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र
प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण भारी कोस्ट पर खारिज किया जावे।



बहस प्रार्थना-पत्र विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि
वादगत भूमि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बंशीधर की खरीद सुदा भूमि है। अप्रार्थी/वादी
प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा की गई पंजीकृत गिफ्ट डीड को शून्य घोषित करवाना चाहते हैं
जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा ना ही राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता
है। अप्रार्थी/वादी ने अपने वाद में आवासीय भूमि होने के कारण राजस्व न्यायालय में सुनवाई का
अधिकार नहीं है, उसे सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा तथा गिफ्ट डीड जो कि अनिता गोयल,
विनोद देवी, भंवरी देवी तथा राधेश्याम के हक में की गई है उनकी दिनांक वर्णित नहीं की है तथा
ना ही गिफ्ट डीड की प्रति पेश की है इसलिए अप्रार्थी/वादी को वाद लाने का अधिकार कॉज
आफ एक्शन नहीं है। तथा गिफ्ट डीड का वादकरण अलग-अलग होने के कारण आदेश 2 नियम
2 सीपीसी के अनुसार सबका एक दावा नहीं किया जा सकता है तथा अप्रार्थी/वादी का जमाबन्दी
में नाम भी दर्ज नहीं है अतः प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा
खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न
न्यायिक दृष्टान्त/विनिर्णय प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया-

2020 (3) DNJ (S.C.) Page 958

2018 (3) CJ (Civil) (Raj.) Page 1496

2021 (3) CJ (Civil) (Raj.) Page 610

2008 DNJ (S.C.) Page 534

2019 (2) CCC (S.C.) Page 127

2020 DNJ (S.C.) Page 779

2018 (2) CJ (Civil) (Raj.) Page 1105

2016 (2) CJ (Civil) Page 399

2023 (3) CJ (Civil) (Raj) Page 1713

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्तानुसार न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में हुबहु चस्पा होते हैं। वकील अप्रार्थी/वादी ने वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 किस उपनियम के तहत प्रस्तुत किया है का अंकन नहीं किया है तथा 2 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के प्रावधानानुसार ही है। दिनांक 27.08.2004 को किये गए पारिवारिक विभाजन के आधार पर अप्रार्थी/वादी व गौण प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से पर बहैसियत मालिक काबिज व उपयोग-उपभोगकर्ता, कब्जाधारी हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थी/वादी की ओर से कोई न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी रोही ग्राम सालासर के खसरा संख्या 2121/627 तादादी 1.6438 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत भूमि में प्रतिवादीगण बंशीधर, अनितागोयल, भवंरीदेवी, विनोदी देवी तथा राधेश्याम रिकॉर्डेड खातेदार हैं उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बंशीधर की खरीदसुदा भूमि होने के कारण उसे उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग तथा विक्रय, गिफ्ट-डीड, रहन आदि के अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादगत सम्पत्ति खरीदसुदा होने के कारण ही अन्य प्रतिवादीगण को पंजीकृत गिफ्ट-डीड के जरिये सम्पत्ति हस्तान्तरित की है जिसका उसको अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी बंशीधर द्वारा की गई गिफ्ट डीड को शून्य कर वादी के नाम घोषणा करने हेतु निवेदन किया गया है जो कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता में है। तथा वादी द्वारा अपने वाद में विवादित भूमि में की गई गिफ्ट डीड कितनी दिनांक को हुई का अंकन नहीं किया जिससे उक्त दावा में मियाद की अवधि के बिन्दु पर वाद बाद मियाद प्रतीत होता है। अप्रार्थी/वादी वादगत सम्पत्ति में खातेदार नहीं है। अतः उक्तानुसार स्थिति में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बंशीधर आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न चलने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



आदेश/कक्षाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुजाना जिला

डिकरी ब मुकदमेंडब्टदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D' -1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
 श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

नन्दलाल बनाम बंशीधर आदि
 दावा बाबत घोषणात्मक, रिकॉर्ड संशोधन व चिरव्यादेश
 मुकदमा न0 41 सन 2023




यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु

हाजरी श्री मधु चौबदार, मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

चीज..... मुबलिंग बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना
 आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक
 को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 10 2024

दस्तखत 
 ओहदा उपखण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़

मुहर	मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिशनर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिशनर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नहीं दर्जकरनाचाहिये ।